**राजस्थान सरकार**
**राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

क्रमांकः राम/प–2/1/7/रातस/2019/9411 दिनांकः– 27/9/19

**:: आदेश ::**

श्री गजेन्द्र सिंह, तहसीलदार छत्तरगढ़ जिला बीकानेर को मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 8859 दिनांक 11.09.19 के द्वारा पदस्थापन आदेशों के प्रतीक्षाधीन किया जाकर मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निर्धारित किया गया था। जिसके विरूद्ध इनके द्वारा मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 13732/19 दायर की गई। जिसमें मा. न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.09.19 पारित करते हुए श्री गजेन्द्र सिंह तहसीलदार के सम्बंध में मण्डल के आदेश दिनांक 11.09.19 के प्रभाव एवं क्रियान्वयन को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 20.09.2019 की पालना में मण्डल के आदेश दिनांक 11.09.2019 के द्वारा श्री गजेन्द्र सिंह तहसीलदार छत्तरगढ़ जिला बीकानेर को एपीओ किया जाकर मुख्यालय राजस्व मण्डल अजमेर निर्धारित करने के आदेश को मा. न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाकर यथावत तहसीलदार छत्तरगढ़ जिला बीकानेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

**आदेशानुसार**

**निबन्धक**
**राजस्व मण्डल राज. अजमेर**

क्रमांकः सम/9412–9420 दिनांकः– 27/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
4. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/रिट/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
5. सम्बंधित श्री गजेन्द्र सिंह तहसीलदार छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
6. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निबन्धक (रातस)
**राजस्व मण्डल राज. अजमेर**